प्रेषक, डॉ० दीपक स्वरूप सक्सेना,
जनपद न्यायाधीश,
औरैया।

प्रतिष्ठा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय– जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

पत्रांकः– 1194/I/औरैया/ दिनांक–जून, 08 2021

माननीय महोदय,

सविनय निदेवन इस प्रकार है कि जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद पर चयन हेतु विज्ञापन पत्रांक सी.पी. 127/84–2–2021, दिनांक 12 मई, 2021 प्रकाशित हुआ है। चयन हेतु प्रकाशित आवेदन पत्र को निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, सी–1, विक्रान्त खण्ड–1, (शहीद पथ के बगल में) गोमती नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अन्तिम तिथि 11 जून, 2021 है।

अतः इस सम्बन्ध में विनम्र निवेदन है कि उक्त पद हेतु आवेदन पत्र भरे जाने की माननीय न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान कराये जाने की महती कृपा करें।

आदरणीय महोदय के संज्ञान में यह तथ्य भी लाना है कि चूँकि 11 जून, 2021 की तिथि से पहले आवेदन पत्र राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोमतीनगर, लखनऊ पहुँच जाना है, इसलिए भरे हुए आवेदन पत्र को माननीय न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने की प्रत्याशा में मेरे द्वारा निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोमती नगर, लखनऊ को प्रेषित किया जा रहा है, ताकि निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र सम्बन्धित विभाग में प्रस्तुत हो सके।

उपरोक्त के लिए आभारी रहूँगा।

सादर।

भवदीय,

08.06.2021

(डॉ० दीपक स्वरूप सक्सेना)
जनपद न्यायाधीश,
औरैया।

दिनांक–08.06.2021

संलग्नकः–1–जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन की छायाप्रति।
2–आयोग को प्रेषित आवेदन पत्र की छायाप्रति।

संल0-5-1

समयबद्ध/ शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 371 /84-2-2021

प्रेषक,

एस.पी.सिंह,

विशेष सचिव,

उ.प्र. शासन ।

सेवा में,

निदेशक ,

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ,

उ.प्र. लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग 2

लखनऊ दिनांक 12 मई , 2021

विषय : राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोग के 21 अध्यक्ष एवं 84 सदस्यों के रिक्त/ रिक्त होने वाले पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। इस संबंध में उक्त पदों के विज्ञापन पत्रांक: सी.पी.127/84-2-2021,दिनांक 12 मई, 2021/ प्रेस विज्ञप्ति तथा आवेदन पत्र के प्रारूप को (सॉफ्ट कॉपी सहित) संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया उक्त विज्ञापन के प्रेस विज्ञप्ति को हिंदी एवं अंग्रेजी के सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्र में डी.ए.वी.पी./ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर अतिशीघ्र प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा प्रकाशित कराये गये प्रेस विज्ञप्ति की एक-एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(एस.पी.सिंह)

विशेष सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निबंधक, राज्य उपभोक्ता आयोग उ.प्र. को विज्ञापन/ प्रेस विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति सहित इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञापन/ प्रेस विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम 2020 को आयोग के वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराएँ ।

संलग्नक यथोक्त ।

आज्ञा से,

(प्रेमेन्द्र कुमार गुप्त)

अनुसचिव ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग
उत्तर प्रदेश शासन ।
विज्ञापन पत्रांक: सी.पी. 127 दिनांक: 12 मई , 2021
प्रेस विज्ञप्ति

प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोग में रिक्त अथवा सितम्बर, 2021 तक रिक्त होने वाले अध्यक्ष पद के 21 तथा सदस्यगण (सामान्य सदस्य एवं महिला सदस्य) के 84 पदों पर नियुक्ति की जानी है । विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकतीं हैं ।

2- उक्त पदों पर नियुक्ति के उपरान्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के नियम-10 के अनुसार जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 04 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक पद पर रहेंगे तथा 65 वर्ष की आयु के अध्धीन 04 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, परन्तु यह इस शर्त के अधीन है कि वह निम्नलिखित बिन्दु संख्या- अ, ब तथा ब (1) में उल्लिखित नियुक्ति के लिए अर्हताओं और अन्य शर्तों की पूर्ति करता है ऐसी पुनर्नियुक्ति भी चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जायेगी ।

इसके अनुसार निम्नलिखित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन-पत्र की अंतिम तिथि 11 जून, 2021 होगी।

(अ) <u>अध्यक्ष पद हेतु निर्धारित अर्हताः-</u>

कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायालय का न्यायाधीश न हो अथवा न रहा हो अथवा होने के लिए अर्ह न हो, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नही होगा।

(ब) <u>समान्य सदस्य एवं महिला सदस्य पद हेतु निर्धारित अर्हताः-</u>

(1) विज्ञापन की तिथि को आयु 35 वर्ष से कम न हो।

(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो।

(3) क्षमतावान, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखता हो।

<u>ब (1)</u> कोई व्यक्ति जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनर्ह होगा यदि वह -

(क) ऐसे किसी अपराध, जिसमें नैतिक अधमता सम्मलित हो, के लिए अभियोजित किया गया हो और कारावास कि सजा प्राप्त हो, अथवा

(ख) दिवालिया घोषित किया गया हो, अथवा

(ग) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क और सोच का घोषित किया गया हो, अथवा

(घ) राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी निकाय कॉर्पोरेट की सेवा से हटाया गया हो अथवा निष्कासित किया गया हो, अथवा

(ड.) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यों से वितीय अथवा अन्य लाभों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

3- जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के नियम-6 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी । लिखित परीक्षा नहीं होगी ।

4. जिन आवेदकों द्वारा सदस्य, जिला उपभोक्ता आयोग के पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन संख्या सीपी 202/84-2-2020/सीपी 14/88 टीसी, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 के क्रम में आवेदन किया गया है ; को पुनः आवेदन की आवश्यकता नही है ।

5. ऐसे व्यक्ति जो अध्यक्ष/सदस्य के पद पर दो बार चयनित हो चुके हैं; पुनः नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगें ।

6. अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ रू0 1,000/- (रूपये एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत जो **निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ** के पक्ष में देय हो, संलग्न करेंगे।

7. जो आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होते हैं या जो अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता नही रखते हैं; उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं शुल्क वापसी नहीं की जाएगी ।

8. अभ्यर्थियों को अपना नाम व पता लिखा हुआ रजिस्ट्री लिफाफा जिस पर आवश्यक मूल्य के डाक टिकट लगे हो, 02 लिफाफे तथा 02 पासपोर्ट साईज की नवीनतम् फोटो संलग्न किया जायेगा।

9. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र **निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1 (शहीद पथ के बगल में) गोमती नगर, लखनऊ उ.प्र. पिन कोड- 226010** को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सीधे प्रेषित किया जायेगा।

10. आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, अपूर्ण होने या इस विज्ञापन की तिथि के पूर्व अथवा विज्ञापन में आवेदन-पत्र प्राप्त होने हेतु निर्धारित की गई अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेगें। पदों की संख्या तथा स्थान में परिवर्तन बिना किसी पूर्व सूचना के किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदित जनपद के अतिरिक्त किसी अन्य जनपद में भी नियुक्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

11. अभ्यर्थी आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ की बेवसाइट http://scdrc.up.nic.in से भी प्राप्त कर सकते हैं।

(एस.पी. सिंह)
विशेष सचिव ,
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग
उत्तर प्रदेश शासन ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग
उत्तर प्रदेश शासन ।
पत्रांक सी.पी. **127(1)**/84-2-2021 दिनांकः 12 मई,2021

प्रेस विज्ञप्ति

प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष के 21 एवं सदस्यगण के 84 (सामान्य सदस्य एवं महिला सदस्य) रिक्त / रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति की जानी है । विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकतीं हैं । उक्त नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत बने उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम 2020, दिनांक 15 जुलाई, 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी । उक्त पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन पत्रांक : सी.पी. 127/84-2-2021,दिनांक 12 मई, 2021 एवं आवेदन प्रारूप, राज्य उपभोक्ता आयोग की विभागीय वेबसाइट http://scdrc.up.nic.in/ पर अपलोड है । आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक **11 जून, 2021** निर्धारित है । इच्छुक अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट से सेवा शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर, वांछित औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए राज्य आयोग कार्यालय में डाक के माध्यम से अथवा सीधे निर्धारित तिथि दिनांक 11 **जून, 2021** तक आवेदन निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1 (शहीद पथ के बगल में) गोमती नगर, लखनऊ उ.प्र. पिन कोड- 226010 के पते पर कर सकते हैं। आवेदन पत्र अपूर्ण होने अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जाएंगे ।

Digitally signed by ...

(एस.पी. सिंह)
विशेष सचिव ,
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग
उत्तर प्रदेश शासन ।

सत्यापित 2

जारी करने वाली शाखा भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India
Issuing Branch:AURAIYA CITY
कोड क्रं /CODE No: 16723

मांगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: YUHDEZ
Sr. No: 646160

0	4	0	6	2	0	2	1
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

76598
मांगने पर NIBANDHAK, RAJYA UPBHOKTA VIVAD PRATITOSH AYOG, U.P. LUC**** या उनके आदेश पर
ON DEMAND PAY OR ORDER
One Thousand Only
अदा करें ₹ 1000.00

180837 Key: YUHDEZ Sr. No: 646160 AMOUNT BELOW 1001(0/4) मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED
Applicant DEEPAK SWAROOP SAXENA DISTRICT JUDGE AURAIYA

VOID

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH:LUCKNOW MAIN BRANCH
कोड क्रं . /CODE No: 00125

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता AUTHORISED SIGNATORY
MUNISH KUMAR
शाखा प्रबंधक BRANCH MANAGER
M-12383

9 7 6 5 4 3 2 1

MADRAS SECURITY

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

⑈180837⑈ 000002000⑆ 000394⑈ 16

जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष, सामान्य सदस्य एवं महिला सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन पत्रांक: सी.पी. 127/84-2-2021 दिनांकः 12 मई,2021

1. आवेदित पद का नाम.......अध्यक्ष.......

2. अभ्यर्थी का नाम -

(क) हिन्दी में.......डा० दीपक स्वरूप सक्सेना.......

(ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में.......DR. DEEPAK SWAROOP SAXENA

3. पिता/पति का नाम-

(क) हिन्दी में.......श्री दया स्वरूप सक्सेना.......

(ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में.......SRI DAYA SWARUP SAXENA

4. (क) जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित).......23.09.1962.......

(ख) विज्ञापन की तिथि को आयु-.......58.......वर्ष.......7.......माह.......19.......दिन

5. (क) शैक्षिक योग्यता (आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सभी अंकपत्र, प्रमाण पत्र व डिग्री संलग्न करना आवश्यक होगा).......HIGH SCHOOL, INTERMEDIATE, B.SC., LL.B., M.A., PH.D., M.B.A.

(ख) विशेष योग्यता (यदि कोई हो तो उसका अंकपत्र, प्रमाण पत्र व डिग्री संलग्न करना आवश्यक होगा).......PH.D., M.B.A.(HUMAN RESOURCE).......

6. (क) क्षेत्र जिसमें कार्य का पर्याप्त ज्ञान व अनुभव रखते हैं, का ब्यौरा.......विधिक क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान व अनुभव। उ० प्र० न्यायिक सेवा में वर्ष 1992 से कार्यरत, वर्तमान में जनपद न्यायाधीश औरैया के पद पर कार्यरत.......(उपभोक्ता मामलें, विधि, लोक मामलें, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन .अभियांत्रिकी, प्रौधिगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम 15 वर्ष का अनुभव)

(ख) कितने वर्ष का अनुभव रखते हैं। (अनुभव प्रमाण पत्र संलग्नक के रूप में रखें).......वर्ष 1992 से उ० प्र० न्यायिक सेवा में कार्यरत, अब तक लगभग 28 वर्ष का अनुभव

7. (क) स्थायी पता.......बी-94, तक्षशिला कालोनी, मेडिकल कालेज के सामने, गढ़ रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश.......

(ख) पत्र व्यवहार का पता.......जनपद न्यायाधीश कार्यालय, जिला न्यायालय, औरैया, उत्तर प्रदेश.......

(ग) ईमेल आईडी.......judgedrdeepak111@gmail.com.......

(घ) मोबाइल नम्बर/ टेलीफोन नं0 एस.टी.डी. कोड सहित.......7408660600.......

(ड.) गृह जनपद.......रामपुर, उत्तर प्रदेश.......

8. (क) वर्तमान व्यवसाय.......उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया के पद पर कार्यरत.......

(ख) पूर्व में किस राज्य के न्यायिक अधिकारी रहे हैं(विवरण).......×.......

(ग) पूर्व सेवा/व्यवसाय के अनुभव का विवरण, यदि कोई हो (प्रमाण पत्र सहित)......×......................

....

....

9. श्रेणी (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति)......सामान्य..............

....

(आरक्षित वर्ग के समर्थन में प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।)

10. अभ्यर्थी के पिता तथा पति/पत्नी के व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण

(क) पिता....भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त / I.A.S. (Rtd)........

(ख) पति/पत्नी.........अधिवक्ता..

11. यदि अभ्यर्थी का निकट संबंधी राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के पद पर कार्यरत है, तो उसका उल्लेख करें।.........×.............................

....

12. यदि किसी अभ्यर्थी जो पूर्व में अपर जिला जज/जिला जज रहा है अथवा कार्यरत है वह जिला आयोग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, उसके विरूद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई हो तो उसका परिणाम का विवरण अंकित करें....×....

....

....

यदि अनिवार्यता सेवानिवृत्ति अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुई हो उसका विवरण अंकित करें...×..

....

यदि सेवायोजन अवधि में गत वित्तीय 10 वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त हुई हो तो उसका विवरण अंकित करें तथा उसकी प्रति भी संलग्न करें...............×..............................

....

यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अभ्यर्थी को आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, या ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो, तो उसका विवरण...............×...............................

....

13. यदि कोई अभ्यर्थी जो पूर्व में शासकीय सेवा में रहा हो अथवा कार्यरत है, वह जिला आयोग में सामान्य सदस्य/महिला सदस्य के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो यदि उसके विरूद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई हो तो उसका परिणाम का विवरण अंकित करें........

....×..

यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुई हो उसका विवरण अंकित करें.....×...........

....

यदि सेवायोजन अवधि में गत 10 वित्तीय वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त हुई हो तो उसका विवरण अंकित करें तथा उसकी प्रति भी संलग्न करें.........×...

....

यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अभ्यर्थी को आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, या ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो, तो उसका विवरण............×..

....

....

14. अभ्यर्थी यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी उपक्रम में कार्यरत है ~~अथवा रहे हैं~~ तो निम्न विवरण अंकित करें:-

(ए) विभाग का नाम...माननीय उच्च न्यायालय, उ०प्रदेश...............

(बी) नियुक्ति प्राधिकारी का पद नाम राज्य सरकार/मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

(सी) सेवा अवधि (किस तिथि से किस तिथि तक कार्यरत रहे)..10.4.1992 से लगातार

(डी) वेतनमान एवं मूलवेतन..(70290-76450) मूल वेतन-73,370/-.......

(ई) सेवानिवृति तिथि....................30.09.2022............................

(एफ) विभाग का पत्र व्यवहार का पता.......श्रीमान महानिबन्धक.....................

....माननीय उच्च न्यायालय.......................

....इलाहाबाद, उ०प्र०-प्रदेश.......

(जी) सेवानिवृत्त के समय पदनाम...वर्तमान में जनपद न्यायाधीश, औरैया के पद पर कार्यरत

15- अभ्यर्थियों को अपना नाम व पता लिखा हुआ रजिस्ट्री लिफाफा, जिस पर आवश्यक मूल्य के डाक टिकट लगे हो, 02 लिफाफे तथा 02 पासपोर्ट साईज की नवीनतम् फोटो संलग्न किया जायेगा।

16. अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1 (शहीद पथ के बगल में) गोमती नगर, लखनऊ,उ.प्र. पिन कोड-226010 को सभी प्रमाण पत्रों एवं बैंक ड्राफ्ट रु.1000/- (रु.एक हजार मात्र) मूल रूप में निर्धारित अंतिम तिथि तक भेजना होगा । निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

17. अन्य विवरण, यदि कोई हो..उ०प्र० न्यायिक सेवा में वर्ष 1992 से कार्यरत, वर्तमान में जनपद न्यायाधीश के पद पर कार्यरत

18. अभ्यर्थी द्वारा आवेदित जनपद के अतिरिक्त किसी अन्य जनपद में भी नियुक्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

तिथि ..07.06.2021...... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर...........[signature] 07.06.2021

स्थान ...औरैया..... अभ्यर्थी का नाम..डा० दीपक स्वरूप सक्सेना

घोषणा पत्र

मैं........डा० दीपक स्वरूप सक्सेना.............................घोषणा करता/~~करती~~ हूँ कि - (1) मैंने विज्ञप्ति में की गई पात्रता की शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ, वह मुझे मान्य हैं और वे शर्ते मैं पूरी करता/~~करती~~ हूँ। (2) मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं

सही है और मैनें इन विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाये या कोई मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायें। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर ....[signature].... 07.06.2021

अभ्यर्थी का नाम....डा० दीपक विजय सक्सेना.

संलग्नक: 1. नाम पता लिखा लिफाफा (रजिस्ट्री)

2. 2 लिफाफे

3. 2 पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो

4,5 - हाई स्कूल मार्कशीट एवं प्रमाणपत्र

6,7 - इन्टरमीडिएट मार्कशीट व प्रमाणपत्र

8,9 - बी.एस.सी. मार्कशीट व डिग्री

10,11,12 - एल.एल.बी. मार्कशीट व डिग्री

13,14,15 - एम.ए. मार्कशीट व डिग्री

16 - PH.D. डिग्री

17,18,19 - M.B.A. मार्कशीट व डिग्री

20 - मा० उच्च न्यायालय की वेब साइट पर उपलब्ध सेवा रिकार्ड

21 - बैंक ड्राफ्ट Rs-1000/- का, ड्राफ्ट न० 180837, Dt. 4.6.2021, S.B.I.

Anx. 4

क्रमांक 145424

द्वितीय प्राप्तांक-पत्र

हाई स्कूल परीक्षा, १९६६

इ० बी० 0149

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
(बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश)

संख्या इ० हा० ———— दिनांकित ————

श्री दीपक स्वरूप सक्सेना ———— अनुक्रमांक २२६८२०

हाई स्कूल मुख्य/पूरक/औद्योगिक (टेक्निकल) परीक्षा, 19 में विभिन्न विषयों में निम्नलिखित अंक प्राप्त किये :—

विषयों के नाम	प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	चतुर्थ प्रश्न-पत्र	योग	प्रयोगात्मक		योग	पूर्णांक
1— हिन्दी	२०	१५	१४					५८	१००
2— गणित	४४	२८						७२	१००
3— विज्ञान	२६	२४			५०	१६	—	६६	१००
4— अंग्रेजी	३३	३२						६५	१००
5— जीव विज्ञान	२१	१६			३८	१५	—	५३	१००
6—									
7—									

सम्पूर्ण योग (अंकों तथा शब्दों में) ३१५/५०० तीन सौ पन्द्रह मात्र

परीक्षाफल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण

टिप्पणी—विषय के अंकों तथा सम्पूर्ण योग में जितने परीक्षार्थी असफल हैं, पद बना है।

सहायक सचिव,
कृते सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पी० एस० यू० पी०—413 मा० शि० प०—8-3-'88—1,000 पैड्स (म०)

Anx. 5

अनुक्रमांक 226820

क्रम-संख्या

111931

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश

हाई स्कूल परीक्षा, १९७७

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षार्थी/परीक्षार्थिनी, जिसका अभिलेखानुसार विवरण निम्नवत् है, ने अप्रैल, १९७७ की हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है और × में विशेष योग्यता प्राप्त की है।

नाम दीपक स्वरूप सक्सेना

पिता का नाम श्री दया स्वरूप सक्सेना

जन्म-तिथि तेईस सितम्बर उन्नीस सौ बासठ (23-9-1962)

विद्यालय / केन्द्र का नाम राजकीय इण्टर मीडिएट कालेज, फैजाबाद

परीक्षा-विषय :—

१—हिन्दी

२—सामान्य गणित/गणित/गृह-विज्ञान

३ विज्ञान

४ जीवविज्ञान

५ अंग्रेजी

६ ×

इलाहाबाद :

दिनांक ३० जून, १९७७ ई०।

(रघुनन्दन सिंह),

सचिव।

इन्टरमीडिएट परीक्षा, १९७९

राजकीय इन्टर कॉलिज, मेरठ

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

संख्या— — — —

दिनांक १२.६.७८

संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी [illegible]

अनुक्रमांक— [illegible]

द्वारा परिषद की इन्टरमीडिएट परीक्षा १९७९ में विभिन्न विषयों में प्राप्त किये गये अंकों का विवरण :

वर्ग [illegible]

परीक्षार्थी द्वारा लिये गए विषय	विषय के निर्धारित अंक	प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	अनुयोग	क्रियात्मक	वाणिज्य प्रथम: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी	वाणिज्य प्रथम: टंकण: सिद्धान्त	वाणिज्य प्रथम: टंकण: क्रियात्मक	वाणिज्य द्वितीय: आशुलिपि हिन्दी अंग्रे.: प्रथम प्रश्न-पत्र	वाणिज्य द्वितीय: आशुलिपि हिन्दी अंग्रे.: द्वितीय प्रश्न-पत्र	वाणिज्य द्वितीय: आशुलिपि हिन्दी अंग्रे.: अनुयोग	वाणिज्य द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: प्रथम प्रश्न-पत्र	वाणिज्य द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: द्वितीय प्रश्न-पत्र	वाणिज्य द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: तृतीय प्रश्न-पत्र	वाणिज्य द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: चतुर्थ प्रश्न-पत्र	अनुयोग	विषय योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
१ सामान्य हिन्दी	१००	२०	१५	२२														५७
२ [illegible]	१००	१६	२२		३८	२५												६३
३ [illegible]	१००	२६	३०		५६	२६												६२
४ [illegible]	१००	२५	२६	१५														६६
५ [illegible]	१००	१२	१५	२०														५८
६	१००																	

सम्पूर्ण प्राप्तांक शब्दों तथा अंकों में- तीन सौ छः ३०६

परीक्षा फल (प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी या अनुत्तीर्ण)	कृपांक	विशेष योग्यता	यदि सम्मान सहित उत्तीर्ण है तो यहां उल्लेख कीजिये	क्या पूरक परीक्षा का अधिकारी है ? यदि हां, तो विषय	क्या निःशुल्क अंकानुसंधान का अधिकारी है ?
प्रथम	—	—	—	—	—

नोट:— प्राप्तांक के आधार पर परीक्षाफल का निर्णय ठीक हुआ है अथवा नहीं, इसकी जाँच परीक्षार्थी नीचे दिये नियमों के आधार पर स्वयं भी कर लें और यदि कोई त्रुटि हो तो प्रधानाचार्य/केन्द्र–व्यवस्थापक से तुरन्त सम्पर्क स्थापित करके उसका निराकरण करा लें अन्यथा भूल सुधार में विलम्ब हो सकता है जो परीक्षार्थी के लिये अहितकर होगा। परिषद कार्यालय में जाँच के फलस्वरूप यदि कोई त्रुटि पाई जायगी तो उसकी सूचना तुरन्त ही प्रधानाचार्य/केन्द्र–व्यवस्थापक को दी जायगी और वे सम्बन्धित परीक्षार्थी को इसकी सूचना देंगे।

परीक्षाफल सम्बन्धी नियम

(१) प्रत्येक विषय के न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क ३३ प्रतिशत है। जिन विषयों में क्रियात्मक परीक्षा होती है उनमें लिखित तथा क्रियात्मक परीक्षा के लिये अलग–अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित हैं।

(२) उत्तीर्ण होने के लिये निर्धारित न्यूनतम अंक से कम अंक नहीं होने चाहिये। निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम होने पर प्राप्तांक वृत के भीतर किये जाते हैं।

(३) किसी विषय में ७५ प्रतिशत अंक पाने पर विशेष योग्यता मिलती है, सम्पूर्ण योग का ७५ प्रतिशत प्राप्तांक होने पर सम्मान सहित उत्तीर्ण घोषित होता है।

(४) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिये प्राप्तांक योग सम्पूर्ण निर्धारित अंकों का क्रमशः ६०, ४५ एवं ३३ प्रतिशत होना चाहिए।

(५) यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा वह केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो वह उस विषय में पूरक परीक्षा का अधिकारी होगा।

(६) पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले सभी परीक्षार्थी स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी नहीं होंगे। केवल वे परीक्षार्थी जो केवल एक विषय में २८ प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं वे पूरक परीक्षा के अधिकारी घोषित होने के साथ ही साथ स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी होंगे। इनकी उत्तर पुस्तकों का अंकानुसंधान निःशुल्क होगा।

बनाने वाले के हस्ताक्षर [signature]

जांचकर्ता के हस्ताक्षर [signature]

प्रधानाचार्य [signature]

प्रधानाचार्य
राजकीय इन्टर कालिज
मेरठ

Ann.7

अनुक्रमांक ४८४८५

क्रम-संख्या ०२२६५२

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश

इण्टरमीडिएट परीक्षा, १९७९

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षार्थी/परीक्षार्थिनी, जिसका अभिलेखानुसार विवरण निम्नवत् है, ने मार्च–अप्रैल, १९७९ की इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है और × में विशेष योग्यता प्राप्त की है।

नाम दीपक स्वरुप सक्सैना

पिता का नाम श्री दया स्वरुप सक्सैना

विद्यालय/केन्द्र का नाम राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज, मेरठ

परीक्षा-विषय :—

१—साहित्यिक हिन्दी/सामान्य हिन्दी
२ भौतिक विज्ञान
३ रसायन विज्ञान
४ गणित
५ अंग्रेजी
६ ×

इलाहाबाद :
दिनांक ८ जुलाई, १९७९ ई०।

(बी० पी० खण्डेलवाल)
सचिव।

Anx. 8

MEERUT UNIVERSITY

STATEMENT OF MARKS OF B. Sc. PART II EXAMINATION 1981.

Roll No. B. 55520871 Enrolment No. M. 7614441

Name of the candidate Deepak Swarup Saxena Father's Initials Dr. S. S.

Name of the college Meerut College Meerut.

Note : Candidates are required to fill up the particulars and names of the courses but not the marks of Part I examination.

Name of the Subject	Maxi. Marks Theory Subject	Maxi Marks Practical Subject	Marks obtained					Result
			Theory Courses			Practical Course	Grand Total	
			III	IV	Total			
Physics			20	23	43	35		
Maths			30	27	57	—		passed
Statistics			41	32	73	40		Second
General Course G. English			35	—	35	—		
Total marks Theory & Practical	500						283	
Marks of B. A. Part I Exams.	500						276	
Total marks of B. A. Part I & Part II Examination.	1000						559	

HONOURS COURSES

Name of the course	Maximum Marks	Minimum marks	Marks obtained	Result
1				
2				

NOTE : (i) The minimum passmarks are 33% in aggregate of each subject in theory and Practical seperately.

(ii) In general courses, the minimum pass marks are 17 out of 50.

(iii) In Honours courses minimum pass marks in each course are 25 out of 50. Marks obtained in Honours courses are not added in the aggregate of marks for determining the division.

(iv) The Divisions are determined on the basis of the aggregate of marks of all the courses prescribed for the degree as under :-

FIRST DIVISION : 60%, SECOND DIVISION : 45% & THIRD DIVISION : 33%.

(V) In case of any discrepancy between the marks statement issued and the marks entered in the University register, the marks as entered in the University register shall be final.

Signature of the writer ... [signature]

Signature of the Checker ... [signature]

Dated : 3 JUL 1981

Asstt. Registrar (Conf.)

अनुक्रमांक B552071
Roll No.

Anx. 9

मेरठ विश्वविद्यालय

MEERUT UNIVERSITY

विज्ञान स्नातक

(Bachelor of Science)

प्रमाणित किया जाता है कि दीपक स्वरूप सक्सेना

ने इस विश्वविद्यालय से सन् १९८१ की परीक्षा में **विज्ञान स्नातक** की उपाधि

द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की ।

परीक्षा के मुख्य विषय : गणित, भौतिकी तथा सांख्यिकी

सामान्य विषय : (1) धर्म एवं संस्कृति (2) सामान्य अंग्रेजी

(3) × (4) ×

वैकल्पिक अतिरिक्त सामान्य विषय : (1) × (2) ×

This is to certify that Deepak Swarup Saxena obtained the Degree of **BACHELOR OF SCIENCE** of this University in the Examination of 1981 and that he/she was placed in the Second Division.

Main subjects of the Examination Mathematics, Physics and Statistics

General Courses : (1) Religion & Culture (2) General English

(3) × (4) ×

Optional Additional General Courses : (1) × (2) ×

MEERUT UNIVERSITY
6.3.82

R.L. Singh
कुलपति—Vice-Chancellor

Anx. 10

LUCKNOW UNIVERSITY

Sl. No. 3048

Enrolment No. ....
Roll No. 16063

LUCKNOW
Dated. 11-2-1985

Statement of Marks—LL.B. (Third Year) Examination of 1984

Name: Deepak Swaroop Saxena s/o, d/o ....

PAPERS	I Civil Procedure Code Pleadings Conveyancing and Limitation: Civil Procedure Code & Court Rules & Pleadings Conveyancing and Limitation	Tutorial Works	TOTAL	II Regal Remedies: Remedies under Private Law and Remedies under Public Law	Tutorial Work	TOTAL	III Law of Evidence and Criminal Procedure: Evidence-Relevancy and Proof and Evidence Criminal Procedure Production and effect of Evidence on Criminal Procedure	Tutorial Work	TOTAL	IV Land Law in Uttar Pradesh: Zamindari Abolition and Land Reforms and Land Revenue	Tutorial Work	TOTAL	V (a) Labour Law: Law Relating to Labour Management Relation and Social Security Legislations	Tutorial Work	TOTAL	V (b) Taxation: Sales Tax Wealth and Gift and Tax on Income	Tutorial Work
Maximum	70	30	100	70	30	100	70	30	100	70	30	100	70	30	100	70	30
Minimum			30			30			30			30			30		
Marks obtained	39	28	67	65	28	93	50	28	78	60	28	88	34	28	62		

V (c) Administrative Law: Nature and Management of Administrative Law and Administrative Adjudication	Tutorial Work	TOTAL	V (d) Private International Law: Domicile and Managing Contacts, Property and Succession	Tutorial Work	TOTAL							Aggregate	RESULT (in Division)	Also Passed/~~Failed~~ in Labour Law/Taxation/Administrative Law/Private International Law	REMARKS — Minimum Marks for First Division 330; Minimum Marks for Second Division 250; Minimum Pass Marks in each Subject 30%
70	30	100	70	30	100	70	30	100	70	30	100	500			
		30			30			30			30	250			
45	28	73										399	Ist		

Note—The marks as entered in the University Marks Register shall be final in case of any discrepancy between the mark-sheet issued and Marks Register in the University.

E.&O.E.

Prepared by:
1. [signature]

Compared and Checked by:
1. [signature]
2. [signature]

[signature]
for REGISTRAR
Lucknow University

लखनऊ विश्वविद्यालय

UNIVERSITY OF LUCKNOW

प्रमाणित किया जाता है कि दीपक स्वरुप सक्सेना ने इस विश्वविद्यालय की एल एल० बी० फाइनल परीक्षा सन् १९८४ में उत्तीर्ण की तथा उपर्युक्त सन् में ही लेबर लॉज के अतिरिक्त प्रश्न-पत्र में भी उत्तीर्ण हुए/हुई।

लखनऊ

दिनांक १ फरवरी, १९८९

कुलसचिव

Amx. 12

लखनऊ विश्वविद्यालय

यतः .... दीपक स्वरूप सक्सेना .... ने इस विश्वविद्यालय के विधि संकाय में **बैचलर ऑव लॉज़** की उपाधि हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया और निम्नलिखित विषयों की अपेक्षित परीक्षा में सन् १९८४ में प्रथम .... श्रेणी में उत्तीर्ण हुए/~~हुईं~~।

(1) इन्डियन लीगल ऐण्ड कॉन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री (2) लॉ ऑव कान्ट्रैक्ट्स (3) लॉ ऑव टॉर्ट्स (4) इन्टरनेशनल लॉ (5) कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ ऑव इन्डिया (6) पार्टनरशिप, कम्पनीज ऐण्ड निगोशियेबिल इन्स्ट्रूमेन्ट्स (7) लीगल थ्योरी ऐण्ड कम्परेटिव लॉ (8) हिन्दू लॉ (9) इक्विटी, मार्टगेजेज, ट्रस्ट्स ऐण्ड अदर फिड्यूशियरी रिलेशन्स (10) मोहम्मडन लॉ (11) ट्रान्सफर ऑव प्रापर्टी ऐक्ट ऐण्ड ईज़मेन्ट्स (12) लॉ ऑव क्राइम्स (13) सिविल प्रोसीजर, कोर्ट रूल्स, प्लीडिंग्स, कन्वेयन्सिंग ऐण्ड लिमिटेशन (14) लीगल रेमिडीज (15) लॉ ऑव एविडेन्स ऐण्ड क्रिमिनल प्रोसीजर (16) लैन्ड लॉ इन यू॰ पी॰ (17) लेबर लॉज़ अथवा लॉ ऑव टैक्सेशन अथवा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अथवा प्राईवेट इन्टरनेशनल लॉ।

अतः प्रमाणित किया जाता है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें **बैचलर ऑव लॉज़** की उपाधि प्रदान की गई।

कुलपति

लखनऊ

दिनांक १ फरवरी, १९८६

Anx.13

* CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR *

< * STATEMENT OF MARKS * >

Examination : M.A.(Previous),2004 — 04-541227 (PRIVATE)

Subject : POLITICAL SCIENCE

Name : DEEPAK SWAROOP SAXENA
Father's Name : DAYA SWAROOP SAXENA
College/Centre : MANOHAR LAL MAHAVIDYALAYA, JAJMAU, KANPUR

Roll No. : 460862
Enrol. No. :

SL.	PAPERS	MARKS OBTAINED Theory	Practical/Viva	Total
1.	1.MODERN INDIAN POLITICAL THOUGHT	76/100		76/100
2.	2.WESTERN POLITICAL THEORY	65/100		65/100
3.	3.INDIAN GOVERNMENT AND POLITICS	76/100		76/100
4.	4.COMPARATIVE POLITICS	68/100		68/100

RESULT : Passed

285/400

DATE:03/08/2004

Checked By 1: [signature]
2: [signature]

[signature]
REGISTRAR

Anx-14

* CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR *

05–809108

< * STATEMENT OF MARKS * >

Examination :........M.A. (FINAL) 2005 PRIVATE [NEW COURSE][DUPLICATE]

Subject :...........POLITICAL SCIENCE.............................

Name : DEEPAK SWAROOP SAXENA
Father's Name : DAYA SWAROOP SAXENA
College/Centre : SHAHID BHAGAT SINGH MAHAVIDYALAYA. BITHOOR. KANPUR

Roll No. :
Enrol. No. : 322601

SL.	PAPERS	MARKS OBTAINED Theory	Practical/Viva	Total
1.	CONTEMPORARY POLITICAL ISSUES	47/100		47/100
2.	THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS	65/100		65/100
3.	MAJOR IDEAS & ISSUES IN PUBLIC ADMINISTRATION	68/100		68/100
4.	INDIAN ADMINISTRATION	49/100		49/100
5.	VIVA-VOCE		42/50	42/50

RESULT : PASSED WITH FIRST DIV.

TOTAL : 271/450
PREV. MARKS : 285/400
GRAND TOTAL : 556/850

DATE : 05/05/2006

Checker 1: ....
2: ....

REGISTRAR

अनुक्रमांक
Roll No. : 322601

Anx. 15

303335

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कला–निष्णात

प्रमाणित किया जाता है कि **दीपक स्वरूप सक्सेना** ने इस विश्वविद्यालय से **2005** की परीक्षा में **राजनीति विज्ञान** विषय लेकर कला–निष्णात की उपाधि **प्रथम** श्रेणी में प्राप्त की।

Master Of Arts

This is to Certify that **DEEPAK SWAROOP SAXENA** obtained the Degree of **MASTER OF ARTS** in this University in the Examination of **2005** in **POLITICAL SCIENCE** and was placed in the **FIRST** Division.

कुलसचिव
Registrar

C.S.J.M.U., Kalyanpur, Kanpur - 24
31 December. 2005

कुलपति
Vice-Chancellor

Annx. 16

क्रमांक / Serial No. 12142956

नामांकन सं. / Enrolment No. M-0600114

अनुक्रमांक / Roll No. XXX

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

यत्र सत्यस्य परमं निधानम्

विद्या वाचस्पति

प्रमाणित किया जाता है कि दीपक स्वरूप सक्सेना आत्मज / आत्मजा श्री दया स्वरूप सक्सेना एवं श्रीमती विमलेश सक्सेना को इस विश्वविद्यालय के सन् २०१२ के दीक्षान्त समारोह में राजनीति विज्ञान विषय पर विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदत्त की गयी है ।

DOCTOR OF PHILOSOPHY

This is to certify that DEEPAK SWAROOP SAXENA *Son / Daughter of Shri* DAYA SWAROOP SAXENA *and Smt.* VIMLESH SAXENA *has been conferred the Degree of* **DOCTOR OF PHILOSOPHY** *of this University in* POLITICAL SCIENCE *at the Convocation of* **2012**.

शीर्षक /Title : जनहित याचिकाएं : उदगम और आयाम

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

Dated 04th DECEMBER, 2012

कुलपति
Vice-Chancellor

Anx. 17

Shobhit University

Shobhit Institute of Engineering & Technology
Established u/s 3 of UGC Act, 1956

Meerut, India

School of Distance Education

Transcript Cum Mark Sheet

NAME : DEEPAK SWAROOP SAXENA
ROLL NO. : 2014050655
FATHER'S NAME : DAYA SWAROOP SAXENA

S. NO. : 2K16SDER16301
ENROLLMENT NO : MRT14PGMBAOL00
LAST APPEARANCE : May 2015

Master of Business Administration (Human Resource Management)

	SUBJECT CODE	SUBJECT TITLE	Max. Marks	Marks Obtained	Resul
Part I	BS6101	Management Concepts and Practics	100	66	
	BS6102	Managerial Economics	100	57	
	BS6103	Accounting for Managers	100	60	
	BS6104	Business Environment	100	72	
	BS6105	Quantitative Technique	100	65	
	BS6106	Computers and Informational Technology	100	62	
		Total	600	382	Pass

G-Pass with Grace S-Eligible for Supplementary F – Failed A-Absent

Publication Date : 11 September, 2015 PUBLICATION CODE : SUSDE005

Checked By: Verified by:

Rajiv Kumar
Controller of Examination
School of Distance Education

Anx-18

Shobhit University

Shobhit Institute of Engineering & Technology
Established u/s 3 of UGC Act, 1956

Meerut, India

School of Distance Education

Transcript Cum Mark Sheet

NAME : DEEPAK SWAROOP SAXENA
ROLL NO. : 2014050655
FATHER'S NAME : DAYA SWAROOP SAXENA

S. NO. : 2K16SDER16301
ENROLLMENT NO : MRT14PGMBAOL001
LAST APPEARANCE : May 2016

Master of Business Administration (Human Resource Management)

	SUBJECT CODE	SUBJECT TITLE	Max. Marks	Marks Obtained	Results
Part I	BS6101	Management Concepts and Practics	100	66	
	BS6102	Managerial Economics	100	57	
	BS6103	Accounting for Managers	100	60	
	BS6104	Business Environment	100	72	
	BS6105	Quantitative Technique	100	65	
	BS6106	Computers and Informational Technology	100	62	
		Total	600	382	Pass
Part II	BS6201	Training and Distribution	100	55	
	BS6202	Sales and Distribution Management	100	62	
	BS6203	Human Resource Management	100	53	
	BS6204	Research Mettodology	100	57	
	BS6205	Marketing Research	100	54	
	BS6206	Marketing Management	100	57	
	BS6207	Managing Human Resource In Global Environment	100	62	
	BS6291	Project and Comprehensive Viva Voce	200	170	
		Total	900	570	Pass
		Grand Total	1500	952	

G-Pass with Grace S-Eligible for Supplementary F – Failed A-Absent

Publication Date : 26 September, 2016 PUBLICATION CODE : SUSDE006

Checked By:

Verified by:

Rajiv Kumar
Controller of Examination
School of Distance Education

Anx. 19

Shobhit University

Shobhit Institute of Engineering & Technology
Established u/s 3 of UGC Act, 1956

Meerut, India

DID : SDE/A16/1001

School of Distance Education

This degree of

Master of Business Administration

in

Human Resource Management

is conferred upon

Deepak Swaroop Saxena

on having passed the examination
for the said degree in September 2016.

Rajiv Kumar
Dy. Registrar

Vice Chancellor

Anx 20.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

A- A A+

DR. DEEPAK SWAROOP SAXENA

District & Sessions Judge
Auraiya

Id No:	UP5606
Father's/Husband's Name:	DAYA SWAROOP SAXENA
Address:	VILLAGE BIJARKHATA, RAMPUR
Date of Birth:	23/09/1962
Date of Retirement:	30/09/2022
Home District:	Rampur
Home State:	Uttar Pradesh
Date of Appt. in Judicial Service as Munsif/CJ(JD):	10/04/1992
Date of Promotion in CJ/CJ(SD):	01/10/2000
Date of Conf. on Munsif/CJ(JD):	25/09/1998
Date of Promotion to Class-I:	01/10/2000
Date of Joining in HJS under Rule 22(3) of UP HJS Rule 1975:	
Date of Joining in HJS under Rule 22(1) of UP HJS Rule 1975:	15/09/2010
Date of Conf. in HJS:	

Qualification Details

SL	DETAILS	DIVISION	YEAR
1.	High School	First	1977
2.	Intermediate	First	1979
3.	B.Sc.	Second	1981
4.	LL.B.	First	1984
5.	M.A.	First	2005
6.	Ph.D.	Passed	2012
7.	M.B.A.	Passed	2016

Training Details

SL	SUBJECT	INSTITUTE	FROM-TO
1.	Basic Training Programme	I.J.T.R., U.P. Lucknow	15/05/92 - 12/09/92
2.	Refresher Training Course for Munsif	I.J.T.R., U.P. Lucknow	02/02/95 - 11/02/95
3.	Diff. Aspects of Wild Life Protection Act, 1972 & Forest Act, 1927	I.J.T.R., U.P. Lucknow	04/04/05 - 08/04/05
4.	Refresher Course on Specialised Criminal Enactments, Atrocities etc.	National Judicial Academy, Bhopal	05/10/06 - 09/10/06
5.	Refresher Training Programme for Addl. District Judges under 13th Finance Commission Scheme	I.J.T.R., U.P. Lucknow	05/08/13 - 08/08/13
6.	Management Training Programme for Judicial Officers	IIM, Lucknow	05/11/13 - 09/11/13
7.	Refresher Training Programme for ADJs	I.J.T.R., U.P. Lucknow	07/07/14 - 11/07/14

Posting Details

SL	DESIGNATION PLACE	FROM TO	REMARKS
1.	Addl. Munsif Hardoi	10/04/1992 01/06/1994	
2.	Addl. Munsif Hathras-Aligarh	07/06/1994 01/06/1996	
3.	Addl. Civil Judge (Junior Div.) Ghaziabad	05/06/1996 17/03/1997*	
4.	Judicial Magistrate Ghaziabad	26/03/1997 27/06/1997	
5.	Addl. Civil Judge (Junior Div.) Ghaziabad	27/06/1997 02/09/1998	
6.	Judicial Magistrate Ghaziabad	02/09/1998 06/11/1998	
7.	Addl. Civil Judge (Junior Div.) Ghaziabad	06/11/1998 01/05/1999	
8.	Civil Judge (Junior Div.) Ghaziabad	01/05/1999 27/05/1999*	
9.	Judicial Magistrate Ghaziabad	27/05/1999* 27/06/1999	
10.	Judicial Magistrate Gautambuddha Nagar	27/06/1999 07/04/2000	
11.	Civil Judge (Junior Div.) Gautambuddha Nagar	07/04/2000 01/10/2000	
12.	ACJM/Addl. Civil Judge (Sr.Div.) Gautambuddha Nagar	01/10/2000 16/05/2001	
13.	Civil Judge (Senior Div.) Gautambuddha Nagar	16/05/2001 06/06/2001	
14.	Addl. Chief Judicial Magistrate Gautambuddha Nagar	06/06/2001 31/10/2001	
15.	Civil Judge (Senior Div.) Gautambuddha Nagar	31/10/2001 06/06/2002	
16.	Addl. Chief Judicial Magistrate Gautambuddha Nagar	06/06/2002 08/08/2002	
17.	Civil Judge (Senior Div.) Gautambuddha Nagar	08/08/2002 18/07/2003	
18.	Civil Judge (Senior Div.) Ramabai Nagar	19/07/2003 04/11/2003	
19.	Addl. Chief Judicial Magistrate Ramabai Nagar	04/11/2003 07/06/2004	
20.	Civil Judge (Senior Div.) Ramabai Nagar	07/06/2004 07/12/2004	
21.	Addl. Civil Judge (Sr.Div.)/ACJM. Muzaffar Nagar	08/12/2004 06/06/2005	
22.	Addl. Chief Judicial Magistrate Muzaffar Nagar	06/06/2005 22/09/2005	
23.	Chief Judicial Magistrate Muzaffar Nagar	22/09/2005 06/06/2006	
24.	Addl. District & Sessions Judge Muzaffar Nagar	06/06/2006 06/06/2009	Fast Track
25.	Addl. District & Sessions Judge Moradabad	08/06/2009 13/09/2010	Fast Track
26.	Addl. District & Sessions Judge Kanpur Nagar	15/09/2010 15/04/2014	
27.	Addl. District & Sessions Judge Mau	18/04/2014 19/02/2016	
28.	A.D.J. (FTC) Mau	19/02/2016 07/05/2016	
29.	Addl. District & Sessions Judge Siddharth Nagar	07/05/2016* 15/06/2016	
30.	Spl. J. (SC/ST, Pev.of Atroci Act) Siddharth Nagar	15/06/2016 08/05/2017	
31.	A.D.J. (FTC) Siddharth Nagar	08/05/2017 18/08/2017	
32.	Principal Judge, Family Court Siddharth Nagar	18/08/2017 19/08/2017	
33.	O.S.D. (Judicial) High Court Lucknow	26/08/2017 18/01/2020	Deputation
34.	Registrar (J)(Stationary) High Court Lucknow	18/01/2020 14/04/2020	Deputation
35.	District & Sessions Judge Auraiya	16/04/2020	

डा० दीपक स्वरूप सक्सेना

H.J.S.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश

जिला न्यायालय

जिला - औरैया

उत्तर प्रदेश

पिन कोड - 206122